छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचादश सत्र अंक-14

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018

(फाल्गुन 4, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 एवं 10 से 13 (कुल 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि राज्य सभा सदस्य श्री पी.एल.पुनिया अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

3. प्रश्नकाल (क्रमश:)

तारांकित प्रश्न संख्या 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री संतराम नेताम अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 11 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री टी.एस.सिंहदेव के स्थान पर श्री मोहन मरकाम, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 47 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा के दौरान श्री कवासी लखमा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया

5. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2018 को **श्री शरमन जोशी** द्वारा अभिनीत नाटक "**राजू, राजा, राम और मैं**" का मंचन सायं 6.00 बजे से होगा।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(2) श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016,

(3) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन, तथा

(4) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 **पटल पर रखे।**

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने जिला-जांजगीर-चांपा में विद्युत पारेषण टॉवर लाईन के निर्माण से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

(2) सर्वश्री कवासी लखमा, दीपक बैज, श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य ने सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के बिरला छात्रावास में दूषित खाना खाने से छात्राओं के बीमार होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री बघेल लखेश्वर
(2) डॉ. विमल चोपड़ा
(3) श्री अरूण वोरा
(4) श्री संतराम नेताम
(5) श्री मोतीलाल देवांगन

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने लोक लेखा समिति का चौसठवां, पैसठवां, छियासठवां, सड़सठवां, अड़सठवां, उनहत्तरवां, सत्तरवां, इकहत्तरवां एवं बहत्तरवां,

(2) श्री अशोक साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) नवम्, दशम्, ग्यारहवां, बारहवां एवं तेरहवां, तथा

(3) श्री श्यामबिहारी जायसवाल, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का अष्टम्, नवम्, दसवां, ग्यारहवां एवं बारहवां **प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।**

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018)

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ निरसन विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018)

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ निरसन विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया जो इस प्रकार है :-

			निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018)	-	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018)	-	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ निरसन विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018)	-	30 मिनट

11. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54, जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, बघेल लखेश्वर, गिरवर जंघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री दीपक बैज, भैयाराम सिन्हा, बृहस्पत सिंह, श्रीमती देवती कर्मा, श्री पारसनाथ राजवाड़े मांग संख्या-14 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, कवासी लखमा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री

अमरजीत भगत, भोलाराम साहू, दीपक बैज, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री जनकराम वर्मा, बघेल लखेश्वर, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, गिरवर जंघेल मांग संख्या-16 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, बघेल लखेश्वर, श्रीमती देवती कर्मा मांग संख्या-54 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, बघेल लखेश्वर, गिरवर जंघेल मांग संख्या-23 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, कवासी लखमा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ. प्रीतम राम, श्री बघेल लखेश्वर, श्रीमती देवती कर्मा, श्री गिरवर जंघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री दीपक बैज, भैयाराम सिन्हा, बृहस्पत सिंह, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री जनकराम वर्मा मांग संख्या-40 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, भोलाराम साहू, श्रीमती देवती कर्मा, श्री गिरवर जंघेल, श्री केशव चंद्रा, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री बृहस्पत सिंह मांग संख्या-45 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री गिरवर जंघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री भैयाराम सिन्हा, बघेल लखेश्वर, श्रीमती देवती कर्मा, डॉ. प्रीतम राम मांग संख्या 75 पर श्री भूपेश बघेल मांग संख्या-51 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, बघेल लखेश्वर एवं बृहस्पत सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री अवधेश सिंह चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, श्यामबिहारी जायसवाल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री भोलाराम साहू, रोहित कुमार साय, दीपक बैज,

12. विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने की समय में वृद्धि

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 153 के उप नियम 2 के अंतर्गत अनुदान की मांगों के लिये नियत अंतिम दिन 4.00 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

चूंकि अभी मांगों पर चर्चा शेष है, अतः अनुदान की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने एवं मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने हेतु समय में वृद्धि की जाये।

मैं समझता हूं सभा इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

13. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री केशव चंद्रा, राजेन्द्र कुमार राय, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी),

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

श्री दलेश्वर साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, मोहन मरकाम, धनेन्द्र साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

14. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग की बजट पुस्तिका क्रमांक 31 में संशोधन प्रस्तुत किये ।

15. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री बृहस्पत सिंह,

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या 71, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-1 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, दीपक बैज, श्रीमती देवती कर्मा, श्री बघेल लखेश्वर मांग संख्या-2 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, बघेल लखेश्वर, मांग संख्या-6 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, दीपक बैज, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री बघेल लखेश्वर, राजेन्द्र कुमार राय, मोहन मरकाम मांग संख्या 60 पर श्री बघेल लखेश्वर मांग संख्या-12 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री बृहस्पत सिंह, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री बघेल लखेश्वर, दीपक बैज मांग संख्या-25 पर सर्वश्री सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, दीपक बैज, बघेल लखेश्वर, बृहस्पत सिंह, श्रीमती देवती कर्मा मांग संख्या-32 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू श्रीमती देवती कर्मा, श्री बघेल लखेश्वर मांग संख्या-71 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, बघेल लखेश्वर मांग संख्या-65 पर श्री टी.एस.सिंहदेव, श्रीमती देवती कर्मा एवं बघेल लखेश्वर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री बृहस्पत सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार राय, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

रात्रि 8.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2018 (फाल्गुन-7, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा